

मुन्तकिली प्रकरण सं० 72/2017 अनवानी धारा सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर बनाम 1-सुरजीत कुमार पुत्र चेताराम जाति सांसी निवासी चक 4 के. एल. एम. तहसील घड़साना 2-उपखण्ड अधिकारी, घड़साना।

17.01.2018



प्रार्थी धारा सिंह व उसके अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ को रूक रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये और न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित आया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्राथी संख्या 1 द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो क्रमांक राजस्व/2017/1318 दिनांक 13.06.17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि प्रार्थी व उसके अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ को बार बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं आये हैं जिससे प्रतीत होता है कि अब प्रार्थी को अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर